



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22102021-230637
CG-DL-E-22102021-230637

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 507]
No. 507]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 22, 2021/आश्विन 30, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 22, 2021/ASVINA 30, 1943

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

(संसद् के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 2021

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर-266/16-डीडी/285/2016-बीओडी/469/2018.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 14 के उपविनियम (9) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21क(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन बोर्ड ने, सीए. पद्मकेश दुबे (सदस्यता सं. 403892), केदारभूमि टोकलो रोड, वार्ड सं. 6, चक्रधरपुर, झारखण्ड 833 102 को, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 22 के साथ पठित पहली अनुसूची के भाग 4 के खंड (2) के अर्थान्तर्गत 'अन्य कदाचार' का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. पद्मकेश दुबे (सदस्यता सं. 403892) के नाम को 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और केवल 1,00,000/- रुपए (एक लाख रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया है। इसके अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि सीए. पद्मकेश दुबे (सदस्यता सं. 403892) का नाम, 22 अक्टूबर, 2021 से 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, कार्यवाहक सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./371/2021-22]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**(Set up by an Act of Parliament)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd October, 2021

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PR-266/16-DD/285/2016-BOD/469/2018.—In terms of the provisions of Section 21A(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with sub-rule (9) of Rule 14 of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Board of Discipline has held **CA. Padmakesh Dubey (Membership No. 403892), Kedarbhumi Toklo Road, Ward No. 6, Chakradharpur, JHARKHAND 833 102**, guilty of ‘Other Misconduct’ falling within the meaning of Clause (2) of Part IV of the First Schedule read with Section 22 of the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of **CA. Padmakesh Dubey (Membership No. 403892)**, from the Register of Members for a period of 1(One) month and also imposed a fine of Rs. 1,00,000/- (Rupees One Lakh) only. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, it is hereby notified under Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 that the name of said **CA. Padmakesh Dubey (Membership No. 403892)** shall stand removed from the Register of Members for a period of 01(One) month with effect from 22nd October, 2021.

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./371/2021-22]